मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जनवरी 2010—पौष 11, शक 1931

सामाजिक न्याय विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2009

क्र. एफ. 3-35-2008-छब्बीस-2.—नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि:शक्त व्यक्तियों के शैक्षणिक पुनर्वास सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नि:शक्त छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना बनाती है, जिसका क्रियान्वयन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जाएगा.

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इस योजना का नाम मध्यप्रदेश नि:शक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना, 2008 है.

(2) यह योजना शैक्षणिक सत्र 2009-10 से प्रभावशील होगी.

2. **परिभाषाएं.**—इस योजना में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''योजना'' से अभिप्रेत है कि सरकार द्वारा संचालित नि:शक्त छात्र/छात्रा के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना;

(ख) ''क्रियान्वयन विभाग'' से अभिप्रेत है सामाजिक न्याय विभाग;

(ग) ''सरकार'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(घ) ''राज्य'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य.

3. **योजना का उद्देश्य.**—इस योजना का उद्देश्य नि:शक्त छात्र/छात्राओं को 10+2 की शिक्षा के पश्चात् मेडीकल, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय/अशासकीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में नियमित रूप से प्रवेश देकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, जिससे नि:शक्त छात्र/छात्राओं को विशिष्ट शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त करने के अवसर सुलभ हो सकें वहीं दूसरी ओर अन्य नि:शक्त विद्यार्थी भी उनकी उपलब्धियों से आकर्षित होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दशा में और अधिक अग्रसर हो सकेंगे.

4. **पाठ्यक्रम जिसके लिए शिक्षण शुल्क देय होगा.**— नि:शक्त छात्र/छात्राओं को 10+2 की शिक्षा के पश्चात् मेडीकल, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में नियमित रूप से प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय महाविद्यालयों में ली जाने वाली शिक्षण शुल्क की सीमा तक शिक्षण शुल्क विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को सीधे सामाजिक न्याय विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा :

परन्तु अशासकीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शासकीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से अधिक शिक्षण शुल्क होने की स्थिति में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अंतर की अतिरिक्त राशि स्वयं वहन करना होगी.

5. **निर्वाह भत्ता.**—ऐसे पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से अध्ययनरत नि:शक्त छात्र/छात्रा को रुपये 1500/- (रुपये एक हजार पांच सौ) प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए निर्वाह भत्ते का भुगतान सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के माध्यम से किया जायेगा.

6. **परिवहन भत्ता.**—नि:शक्त छात्र/छात्राओं को स्नातक शिक्षा के पश्चात् मेडिकल, इंजीनियरिंग मेनेजमेंट, कम्प्यूटर में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु नियमित रूप से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश लेकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नगर निगम क्षेत्र में रुपये 500/- (रुपये पांच सौ) प्रतिमाह, नगरपालिका क्षेत्र में रुपये 300/- (रुपये तीन सौ) प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए परिवहन भत्ते का भुगतान सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के माध्यम से किया जायेगा.

7. **पात्रता.**—उपरोक्त आर्थिक सहायता देने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:—

(1) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अनुसार नि:शक्त छात्र/छात्रा को नि:शक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें छात्र/छात्रा की नि:शक्तत: 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना अनिवार्य होगा.

(2) नि:शक्त छात्र/छात्रा को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा.

(3) नि:शक्त छात्र/छात्रा को मध्यप्रदेश स्थित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में ही नियमित रूप से अध्ययनरत होना आवश्यक होगा.

(4) नि:शक्त छात्र/छात्रा के माता-पिता/पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 96,000/- (रुपये छियान्वे हजार) से अधिक नहीं हो.

(5) यदि कोई छात्र/छात्रा किसी अन्य योजना के अन्तर्गत शिक्षण शुल्क/निर्वाह भत्ता/परिवहन भत्ते का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो वह इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा, जैसे कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि विभागों से शिक्षण शुल्क में छूट/मुक्त आदि सुविधाएं प्राप्त कर रहा है तो वह अपनी इच्छानुसार किसी एक विभाग की योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा.

(6) नियमित छात्र/छात्रा यदि अध्ययनरत पाठ्यक्रम के किसी सेमिस्टर अथवा वर्ष में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसी सेमिस्टर वर्ष के लिए दुबारा अध्ययन करने हेतु शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्तों का पात्र नहीं होगा :

परन्तु अनुत्तीर्ण हो जाने के पश्चात् पुन: परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तथा वह अमले सेमिस्टर/सेमिस्टर वर्ष में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययनरत होता है तो ऐसे छात्र/छात्रा को चालू शिक्षण सत्र में शिक्षण शुल्क/निर्वाह भत्ता/परिवहन भत्तों की पात्रता होगी.

8. **आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने एवं स्वीकृत करने की प्रक्रिया.**—(1) नि:शक्त छात्र/छात्रा को अपने संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के प्रमुख को जिसमें वह अध्ययनरत है, शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता हेतु "परिशिष्ट-एक" में विहित प्रारूप में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(2) महाविद्यालय/संस्थान में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालय/ संस्थान के प्राचार्य/प्रमुख एवं संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय की समिति द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी एवं परीक्षण उपरांत प्राप्त आवेदकों के आवेदन-पत्र इसी समिति द्वारा स्वीकृत किए जायेंगे.

(3) नि:शक्त छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता के लिए प्रति वर्ष आवेदन-पत्र प्रस्तुत होगा. इन आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं स्वीकृति की प्रक्रिया बिंदु क्रमांक 8(2) अनुसार ही होगी.

(4) निर्वाह भत्ते एवं परिवहन भत्ते की राशि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किश्तों में छात्र/छात्रा को संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के माध्यम से भुगतान की जायेगी.

9. **शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता भुगतान की प्रक्रिया** .—(1) शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता हेतु मांग वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय को प्रस्तुत की जाएगी. यह धनराशि की मांग पिछले वर्षों के आंकड़ों पर आधारित होकर अनुमानित होगी. संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय द्वारा जिले की मांग संकलित कर, 15 मई तक संचालनालय को प्रस्तुत की जाएगी. संचालनालय द्वारा 31 मई तक बजट संबंधित संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय को रिलीज की जायेगी. संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय द्वारा संबंधित शिक्षण संस्थाओं को 15 जून तक रिलीज कर दी जायेगी. संबंधित शिक्षण संस्था के प्रमुख का यह दायित्व होगा कि पात्र हितग्राही को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता प्राप्त हो जाए.

(2) शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ते की राशि नगद देय नहीं होकर एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से ही भुगतान की जायेगी.

(3) उक्त योजना पर आने वाला व्यय इस विभाग द्वारा स्वीकृत बजट के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लवलीन कक्कड़, प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट-एक

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग

नि:शक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस/निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु.

आवेदन-पत्र

शैक्षणिक वर्ष 20. . . . —20. . . . .

(योजना कक्षा 10+2 की शिक्षा के पश्चात् इंजीनियरिंग/मेडीकल/कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु नियमित नि:शक्त छात्र/छात्राओं के लिए)

विकलांगता दर्शाता छात्र/छात्रा का नवीनतम फोटो

1. छात्र/छात्रा का पूरा नाम .....
2. पिता/पालक/अभिभावक का पूरा नाम .....
.....
3. स्थायी निवास का पूरा पता (मूल निवास प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
.....
4. छात्र/छात्रा का लिंग (पुरुष/महिला) .....
5. छात्र/छात्रा की जन्मतिथि (मैट्रिक परीक्षा के आधार पर) .....

6. नि:शक्तता का प्रकार एवं नि:शक्तता का प्रतिशत (नि:शक्तता का प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) .....

7. अध्ययनरत छात्र/छात्रा जिसमें वह अध्ययनरत है, के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान का नाम .....

8. छात्र/छात्रा किस कक्षा में अध्ययनरत है— .....
कक्षा में प्रवेश का दिनांक . . . . . .

9. छात्र/छात्रा के अध्ययनरत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश का दिनांक . . . . . .

10. छात्र/छात्रा का वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) का स्पष्ट उल्लेख करें तथा (जाति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) .....
.....

11. छात्र/छात्रा का धर्म .....

12. विगत वर्ष में छात्र/छात्रा द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा का नाम (अंक सूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) .....

13. विगत वर्ष में छात्र/छात्रा को इस योजना के अन्तर्गत शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता स्वीकृत किया गया था अथवा नहीं? हां या नहीं .....
यदि हां तो निम्नलिखित स्पष्ट करें:—

1. विगत वर्ष की परीक्षा का नाम ..... एवं वर्ष . . . . . .
2. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम .....
3. स्वीकृत शिक्षण शुल्क की राशि रुपये . . . . . .
4. निर्वाह भत्ते की राशि रुपये . . . . . .
5. परिवहन भत्ते की राशि रुपये. . . . . .

14. छात्र/छात्रा के माता/पिता/पालक/अभिभावक की वार्षिक आय (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल आय प्रमाण-पत्र संलग्न करें) रुपये . . . . . .

घोषणा-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और प्रमाण-पत्रों के आधार पर पूर्ण रूप से सत्य है,कोई भी असत्य जानकारी पाई जाने पर मुझे उक्त लाभ से वंचित किया जा सकेगा. इस योजना हेतु मेरे द्वारा शासन के नियम/निर्देशों के अनुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है. नियमों में दर्शायी गई सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं.

स्थान :
दिनांक :

छात्र/छात्रा का पूरा नाम तथा हस्ताक्षर
. . . . . .

पिता/पालक/अभिभावक का नाम तथा हस्ताक्षर
. . . . . .

आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों का विवरण —

(1) . . . . . (2) . . . . . (3) . . . . . .

(4) . . . . . (5) . . . . . (6) . . . . . .

संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा (श्री/कुमारी) ..... आत्मज श्री/श्रीमती .... विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान ..... में दिनांक ..... को कक्षा ..... में नियमित रूप से प्रवेश दिया गया है. छात्र/छात्रा का व्यवहार/चरित्र उत्तम है.

छात्र/छात्रा का उक्त कक्ष के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान में शिक्षण शुल्क के रूप में वर्ष ..... के लिए रुपये ..... (शब्दों में रुपये .....) जमा किए जाने होंगे.

2. अशासकीय महाविद्यालय/संस्थान होने की स्थिति में शिक्षण शुल्क की राशि शासकीय महाविद्यालय/संस्थान में उस परीक्षा के लिए ली जाने वाली फीस (शिक्षण शुल्क) के बराबर ही देय होगी.

स्थान :
दिनांक :

संस्था प्रमुख का नाम तथा हस्ताक्षर
पदनाम मुद्रा सहित.

जिले के संयुक्त संचालक/उपसंचालक, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश के कार्यालयीन उपयोग हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा (श्री/कुमारी) ..... आत्मज श्री/श्रीमती .... विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान ..... में दिनांक ..... को कक्षा ..... में नियमित रूप से प्रवेश दिया गया है. छात्र/छात्रा का व्यवहार/चरित्र उत्तम है.

छात्र/छात्रा का उक्त कक्षा के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान में शिक्षण शुल्क के रूप में वर्ष ..... के लिए रुपये ..... (शब्दों में रुपये .....) जमा किए जाने होंगे.

2. अशासकीय महाविद्यालय/संस्थान होने की स्थिति में शिक्षण शुल्क की राशि शासकीय महाविद्यालय/संस्थान में उस परीक्षा के लिए ली जाने वाली फीस (शिक्षण शुल्क) के बराबर ही देय होगी.

निर्वाह भत्ता

छात्र/छात्रा को उक्त कक्षा के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन हेतु वर्ष ..... के लिए रुपये .....(शब्दों में रुपये .....) निर्वाह भत्ते स्वीकृत किये जाते हैं.

उक्त निर्वाह भत्ता मात्र 10 माह के लिए स्वीकृत होगा. स्वीकृत 10 माह की राशि वर्ष में दो किश्तों में अर्थात् 5-5 माह की राशि संबंधित छात्र/छात्रा को देय होगी.

परिवहन भत्ता

छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान ..... में स्नातकोत्तर परीक्षा में नियमित रूप से अध्ययन हेतु वर्ष ..... के लिए रुपये .....(शब्दों में रुपये .....) परिवहन भत्ते स्वीकृत किए जाते हैं.

उक्त परिवहन भत्ता मात्र 10 माह के लिए स्वीकृत होगा. स्वीकृत 10 माह की राशि वर्ष में दो किश्तों में अर्थात् 5-5 माह की राशि संबंधित छात्र/छात्रा को देय होगी.

नोट—आवेदन-पत्र अमान्य करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/टीप अंकित करें .....
.....
.....

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा सहित
संयुक्त संचालक/उप संचालक
सामाजिक न्याय,
जिला ..... मध्यप्रदेश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लवलीन कक्कड़, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.